प्रतिबंधित चानी मांझा के विक्रय पर रोक लगाने निगम एवं पुलिस की कार्यवाही

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय एवं नगर पुलिस अधीक्षक से सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ दुकानदारों द्वारा चोरी छिपे चीनी मांझा का विक्रय किया जा रहा है। प्रतिबंधित चीनी मांझा पर रोक लगाने निगम एवं पुलिस प्रशासन ने की कार्यवाही।

निगम आयुक्त के निर्देश पर निगम एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा चीनी मांझा के विक्रय पर रोक लगाने दुकानों का जांच किया गया। जांच के दौरान किसी भी दुकान में चीनी मांझा नहीं पाया गया। दुकानदारों को हिदायत दिया गया है कि चीनी मांझा प्रतिबंधित है, इसका खरीदी–बिक्री न करें। प्रायः देखा जाता है कि दुकानदारों द्वारा अपने अपने फायदे के लिए दुकानों में चीनी मांझा रखकर नागरिको एवं बच्चों को बेचा जाता है। मांझा बहुत ही खतरनाक होता है, जिस पर कांच की परत लगी होती है। मांझा का धागा किसी नागरिक या बच्चों के शरीर को रगड़ दे तो कटने का डर रहता है। साथ ही इससे बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। नगर निगम भिलाई दुकानदारों एवं नागरिको से अपील करती है कि चीनी मांझा न खरीदे और नही इसका विक्रय करें, यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।